

क्र. सं.	किसी भी पत्राली तथा कुल उपाय द्वारा या कार्यवाही का विवरण	किसी भी पत्राली तथा कुल उपाय द्वारा या कार्यवाही का दिनांक
	13/11/19 पत्राली पत्र कुली कहील उपरोक्त पत्राली दायरे। निम्नलिखित वकीलाना खबरें से प्राप्त हुआ। जो मिलान किया जाता है। वास्तविक दिनांक 22/11/19 का पत्र है।	
2/11/19	पत्राली पत्र कुली कहील कहा है उपरोक्त पत्र। निम्नलिखित में अंतर किया जाता है। वास्तविक मिलान दिनांक 3/2/20 का पत्र है।	
120	पत्राली पत्र कुली कहील द्वारा कहील वकीलाना ने मुलाखत विभाजन प्रस्ताव की वाद पत्र को अन्तिम डिप्टी फरमाये जाने का निवेदन किया। जवाब में कहील वकीलाना ने कोई आपत्ति पेश नहीं की अतः वकीलाना का वाद मुलाखत विभाजन प्रस्ताव के ही स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को मुलाखत विभाजन प्रस्ताव उपरोक्त नं. अ. 120/19/3429 दिनांक 06/12/19 के ही अन्तिम डिप्टी किया जाता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव हस्तागत वाद पत्र के	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम
ज
हुक्म
के

निर्दिष्ट व डिप्टी का भाग रहेगा।
 तदानीमात् खण्डेला मुलाखत विभाग
 प्रस्ताव के ही राजस्व रिमांड के अमल
 परामर्श करे। इसी अनुसार पची डिप्टी
 काफिल ही परमावली फौजदारी मुकाम
 एकेल नकल से कम ही बाद तमनीम
 दाखिल दस्ता है।

(Signature)
 (रणजीत सिंह) (S.D.O.)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)



डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बड़जलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

कजोड़ पुरु श्री मोतीराम जाहि आर निवासी टाकी कागवाली
 काई नं० 2 श्रीमाधोपुर प्रिला तोक राधे
 बनाम (वादी)

1) श्रीमति पत्नी देवी पत्नी श्री मूंगाराम


2) अशोक पुरु श्री मूंगाराम
 दावा बाबत तकासा व स्वामी विधेपदा

मुकदमा नं० 367 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व
 हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार प्रोवा एडवोकेट मिनजानिब मुदई रुबरु श्री डी. सी. एस.
 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण
 का वाद पत्र मुताबिक विभागत प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाये
 जाने पर स्वीकार किया जाय वाद पत्र के मुताबिक
 विभागत प्रस्ताव क्रमांक: प्र. प्र. 129/342 दिनांक 06/11/19
 के ही अन्तिम डिक्री किया जाय है इस विभागत
 प्रस्ताव हस्तागत वाद पत्र के निर्दिष्ट डिक्री का
 आज रजिस्ट्रार महसुला खण्डेला मुताबिक विभागत प्रस्ताव
 ही राफ्त डिक्री में अन्तत इरादा रहे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा
 इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी
 तक का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 02 सन 2020 को जारी
 की गई।



दस्तखत (रणजीत सिंह आर.एस)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

मुदई	रूपये	वैसे	मुदायलह	रूपये	वैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

- 1. सुभाष सुभाष श्री सुभाष
- 2. सुभाष सुभाष
- 3. सुभाष सुभाष
- 4. सुभाष सुभाष
- 5. सुभाष सुभाष
- 6. सुभाष सुभाष
- 7. सुभाष सुभाष
- 8. सुभाष सुभाष
- 9. सुभाष सुभाष
- 10. सुभाष सुभाष
- 11. सुभाष सुभाष
- 12. सुभाष सुभाष
- 13. सुभाष सुभाष
- 14. सुभाष सुभाष
- 15. सुभाष सुभाष
- 16. सुभाष सुभाष
- 17. सुभाष सुभाष
- 18. सुभाष सुभाष
- 19. सुभाष सुभाष
- 20. सुभाष सुभाष
- 21. सुभाष सुभाष
- 22. सुभाष सुभाष

(प्रतिवादीगण)

for

(रजनीश/वि.ए.ए.ए.)
 सुभाष सुभाष
 सुभाष (सुभाष)